रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122021-231866 CG-DL-E-15122021-231866

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 698] No. 698] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 2021/अग्रहायण 23, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2021/AGRAHAYANA 23, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 857(अ).—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) चौथा संशोधन नियम, 2021 है।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में, नियम 9 में, उपनियम (5) में, खंड (ख) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि यदि खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 7 के उप नियम (1 क) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र को संयुक्त अनुज्ञप्ति देने के लिए नीलाम किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को उक्त क्षेत्र की नीलामी में भाग लेने के लिए इस खंड में उल्लिखित राशि का मात्र पचास प्रतिशत की बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी"।

[फ़ा. सं. एम.VI-16/97/2020- खान VI (भाग)]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- खिनज (नीलामी) नियम, 2015 को तारीख 20 मई 2015 के संख्यक सा.का.िन 406 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार तारीख 02.11.2021 के संख्यक सा.का.िन 776(अ) के अधीन संशोधित किया गया था।

7280 GI/2021 (1)

MINISTRY OF MINES NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2021

G.S.R. 857(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Fourth Amendment Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015, in rule 9, in sub-rule (5), in clause (B), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in case the area proposed by a person under sub-rule (1A) of rule 7 of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 is put up for auction to grant a composite licence, such person shall be required to submit the bid security of only fifty per cent. of the amount specified in this clause for participating in the auction for the said area."

[F. No. M.VI-16/97/2020-Mines VI (Part)]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:- The Mineral (Auction) Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and lastly amended *vide* number G.S.R. 776(E), dated the 02.11.2021.